संशोधित

कोर्टकेस/सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध/ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–11फ/2018–19/10201 लखनऊः दिनांक 27 मार्च, 2019

विषयः– पी0आई0एल0 संख्या–5025/2018 विवेक सिंह चकवर्ती बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03.2019 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या–11फ/2018–19/कैम्प–1680, दिनांक 15.03.2019 एवं स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 12.03.2019 के साथ प्राप्त पी0आई0एल0 संख्या–5025/2018 विवेक सिंह चकवर्ती बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03.2019(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 08.03.2019 में मुख्य रूप से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही हेतु निम्नवत् निर्देश निर्गत किये गये हैः–

Accordingly, the Director General, Department of Heatlh Services, Government of U.P. is directed to constitute a Special Cell to inquire into the operation of different pathological Laboratories in the State to ensure compliance of the provisions of the Act, 2010 and the Rules framed thereunder. The inquiry is required to be made about having registration under the Act, 2010 and also the genuineness of the registration made by adhering to necessary conditions prescribed under the Act, 2010 and the Rules framed thereunder. The Director General, Department of Heath Services shall also instruct the authorities competent to take appropriate action against the Pathological Laboratories, if they are not adhering to the requirements of law. Such Pathological Laboratories deserve to be subjected to penalties as per section 40 of the Act 2010. A complete report with regard to steps taken in pursuance of the directions given by this Court is required to be placed on record by the Director General (respondent no 3) on next date of listing.

उपरोक्त उक्त आदेश के अनुपालन में जिला स्तर पर स्पेशल सेल का गठन निम्नवत् किया जाता हैः–

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी – अध्यक्ष
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित 02 अपर/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी – सदस्य

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त सेल का तत्काल गठन करते हुए गठित स्पेशल सेल द्वारा जनपद के समस्त पैथॉलोजी लैब पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से **दिनांक 20.04.2019 से पूर्व** ई–मेल–director.medical.care.up@gmail.com पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसमें शून्य सूचना भी प्रेषित करना अनिवार्य है।

प्रश्नगत वाद में आगामी सुनवाई की तिथि 10.05.2019 को निर्धारित है तथा प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में मा0 मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय से आच्छादित है, कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(पदमाकर सिंह)
महानिदेशक

पत्रांकः–11फ/2018–19/ तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 12.03.2019 के कम में।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–6
3. स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित अपने स्तर से भी उक्त का अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही की संकलित सूचना निर्धारित समयावधि में महानिदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

निदेशक(चिकित्सा उपचार)